तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6436 / 2006 / सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम फकरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**	
25-02-2026	**उपस्थितः–** श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 23–06–2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 ग्राम सुनारी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 336 व 732 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ठि. इसरदा माफी पीर जी वाके सुनारी घासीशाह वल्द खुदाबक्स जाति मुसलमान के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना किसी आधार व आदेश माफी पीर जी के नाम का विलोपित कर अप्रार्थी घांसी पुत्र खुदाबख्श जाति मुसलमान के नाम जमाबन्दी सम्वत 2022–25 में अंकित कर दी गयी है, जिसके हाल नवीन खसरा नम्बर 777 रकबा 0.09 व खसरा नम्बर 983 रकबा 0.47 हैक्टर बने हैं। जमाबन्दी सम्वत 2022–2025 में अंकित आराजी की विरासत का नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 19–10–1977 खोलते हुए जमाबन्दी सम्वत 2034 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6436 / 2006 / सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम फकरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि माफी पीर जी की भूमि थी, जिसे नियम विरूद्ध निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर/ माफी पीर जी के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 23–06–2006 द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करके वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटा माफी पीर जी के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। **3–** अप्रार्थीगण को बावजूद सूचना मण्डल न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुये। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। **4–** विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 अनुसार विवादित भूमि ठि. इसरदा माफी पीर जी वाके सुनारी घासीशाह वल्द खुदाबक्स कौम फकीर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जो माफी दरगाह की श्रेणी में आता है। चूंकि माफी दरगाह शाश्वत नाबालिग है और माफी दरगाह शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। वर्तमान जमाबंदी में विवादित भूमि बिना किसी आधार व आदेश के माफी पीर जी के स्थान पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6436 / 2006 / सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम फकरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त किये जाने योग्य हैं एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी पीर जी के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। **5–** विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। **6–** पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 ग्राम सुनारी के खसरा नम्बर 336 व 732 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा माफी पीर जी वाके सुनारी घासीशाह वल्द खुदाबक्स कौम फकी के नाम दर्ज होकर माफी खुद अंकित थी। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने पर बिना किसी आधार व आदेश माफी पीर जी के नाम विलोपित कर घांसी पुत्र खुदाबख्श जाति मुसलमान के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी जरिये नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 19–10–1977 स्वीकृत होकर जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई है। विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकोर्ड में ''माफी पीर जी'' के नाम से अभिलिखित थी लेकिन पश्चातवर्ती रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम आदेश के तथा माफी खुद दर्ज होने पर भी विवादित आराजी ''माफी पीर जी'' के नाम से हटा कर अप्रार्थी घांसी पुत्र खुदाबख्श जाति मुसलमान तथा जरिये विरासत नामान्तकरण के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। दस्तावेजी साक्ष्यों से वादग्रस्त भूमि पूर्व में माफी पीर जी की खातेदारी में दर्ज होकर बाद में उसे गलत रुप से अप्रार्थीगण के नाम अंकित कर दी जाना स्पष्ट है। **7–** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर / 6436 / 2006 / सवाईमाधोपुर** **राजस्थान सरकार बनाम फकरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति/दरगाह पीर/देवस्थान की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती हैं एवं दरगाह पीर/मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होकर उसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार है एवं इस प्रकार की भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में दरगाह पीर/मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी प्रकार से अंतरण/हस्तांतरण वर्जित है। इस प्रकार दरगाह पीर की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से यह इंद्राज अवैध एवं प्रभाव शून्य है। पूर्व रिकॉर्ड में खातेदार/काश्तकार में भी माफी खुद ही दर्ज है। इस प्रकार विवादित भूमि माफी मन्दिर/ माफी पीर जी की खुद काबिज होकर खुदकाश्त होने से इस पर किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है। **8–** विवेचन उपरांत निर्णय स्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम सुनारी में स्थित नवीन खसरा नम्बर 777 रकबा 0.09 व खसरा नम्बर 983 रकबा 0.47 हैक्टर को पुनः माफी पीर जी वाके सुनारी के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण का नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	